

“प्ररूप जीएसटी पीसीटी-07

[नियम 83ख देखिए]

माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन के रद्दकरण का आदेश

1. जीएसटीपी नामांकन सं.	
2. जीएसटी व्यवसायी का नाम	<ऑटो पोपुलेटेड>
3. पता	<ऑटो पोपुलेटेड>
4. आवेदन की तारीख और सं.	
5. नामांकन के रद्दकरण के प्रभाव की तारीख	

घोषणा

यह सूचना दी जाती है कि जीएसटी व्यवसायी के रूप में आपका नामांकन.....से रद्द किया जाता है ।

(हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख : ”.